फाइल सं. ए.12018/09/2020-कुष्ठ
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में नाई समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में नाई समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 20/09/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा. का. नि................राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1992, का अधिक्रान्त करते हुए जहां तक इसका संबंध नाई पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में नाई पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, नाई (समूह-'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आवेदन** : यह नियमावली, इनमें संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होगी।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नाई ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900रु.) ।	लागू नहीं होता ।	18-25* वर्ष के बीच * यदि पद को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरा जा रहा है तो यह आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण हो । 2. उपयुक्त कार्यक्षेत्र में किसी सरकारी अस्पताल / संस्थान /पंजीकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र । टिप्पण 1: अन्यथा पूर्ण अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में योग्यता में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर दी जाती है। टिप्पण 2: यदि चयन में किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिनमें अपेक्षित अनुभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दी जाती है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी पर रहने या अध्ययन अवकाश पर जाने अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है; (क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारित हों; और (ख) जो स्तम्भ (7) के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखते हैं।	लागू नहीं होता ।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. अपर निदेशक क्लिनिकल, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. सहायक-निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु -सदस्य 4. सहायक नर्सिंग पर्यवेक्षक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु -सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

फा.सं. ए.12018/09/2020-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार